

निर्धन छात्र सहायता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत महाविद्यालय की अति निर्धन छात्रों जिन्हें शासन की किसी अन्य योजना में कोई भी छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है उन्हें शिक्षण में पुस्तक आदि व्यय हेतु यह छात्रवृत्ति महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है।

इस छात्रवृत्ति हेतु प्रवेशित प्रति छात्रा नियमित छात्राओं से रु०-05=50 (पाँच रु० मात्र) प्रति छात्रा निर्धन सहायता शुल्क लिया जाता है। उसी से पात्र छात्राओं का इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।




सत्र 2016-17 में इस वर्ष महाविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं की संख्या कुल 1083 है। जिनका प्रति छात्रा रु० 5=50 की दर से कुल राशि रु० 5415=50 (पाँच हजार चार सौ पन्द्रह मात्र) निर्धन छात्र सहायता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वितरण हेतु उपलब्ध है।

इस छात्रवृत्ति हेतु नियमानुसार निम्नलिखित छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं —

- (1) यशरा B.A. VI sem 8819961586
- (2) नीलम त्यागी B.A. VI sem 7869626281
- (3) निशा त्यागी B.C.A. IV sem 7869626281
- (4) अलसंगा B.Com IV sem 8109986718
- (5) उमा मा B.A. VI sem 9174150799
- (6) वर्षा चौहान B.Com VI sem 7697883104
- (7) सदा अलम B.Sc. VI sem 8962208720

(8) लीना शर्मा B.A. II sem. 8965077821

उपरोक्त आवेदनो का निरीक्षण करने पर उपरोक्त छात्रों निम्न छात्र सहायता छात्रवृत्ति प्रदाय किये जाने की पात्र हैं। अतः इन्हे निम्न छात्र सहायता छात्रवृत्ति के अन्तर्गत रु० 676=00 (छा.सो. द्वि. त्तर रु० मा) प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान करने की अनुशंसा समिति द्वारा की जाती है।

		
संयोजक	सदस्य	प्राचार्य
(डॉ० मेजरी अग्निहोत्री)	(डॉ० जी एल वॉन)	डॉ० सुभम तनेजा

- 1. डॉ० मेजरी अग्निहोत्री (1)
- 2. डॉ० जी एल वॉन (2)
- 3. डॉ० सुभम तनेजा (3)
- 4. डॉ० अशोक (4)
- 5. डॉ० विद्या (5)